न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 109 सन 2019

अनवान :–

1. बिरजु सिह पुत्र मानसिह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. भानीसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।

सायलान

बनाम

1. मदनसिह पुत्र जगनाथसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता सायल ान

निर्णय दिनांक :– 09/03/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 66/105 की कुल 2.0240हैक भूमि भभूतसिह अर्थात सायलान के दादा पडदादा की थी जिनकी मृत्यू के पश्चात उनके चार वारिसान छतुसिह , बिडदसिह, बिशनसिह , भोपालसिह के नाम से बहिब दर्ज हुई।

वाद भूमि चक 1 आरपीएम की उक्त भूमि कुल 2.0240हैक अर्थात 8 बीधा अर्थात 160 हिस्सा भूमि थी इसलिये छतुसिह 2 बीधा अर्थात 40 हिस्सा , बिडदसिह 2 बीधा अर्थात 40 हिस्सा बिशनसिह 2 बीधा अर्थात 40 हिस्सा, भोपालसिह 2 बीधा अर्थात 40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए।

वाद भूमि छतुसिह 1/4 हिस्सा अर्थात 2 बीधा 40 हिस्सा भूमि थी जिनके स्वर्गवास के पश्चात कुल 5 वारिसान रूधनाथसिह, जगनाथसिह , मानसिह, कल्याणसिह, रामसिह हुए जिन्हे विरास्तन से 8–8 बिश्वा भूमि प्राप्त हुई।

बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड तेयार करते समय केवल रूधनाथसिह व जगनाथसिह के नाम 40 हिस्सा अर्थात छतुसिह का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज कर दिया व मानसिह व कल्याणसिह व रामसिह का हिस्सा दर्ज नही किया जो विधि विरूद्व है जिससे मानसिह , कल्याणसिह, रामसिह के हकों का हनन होता है इसलिये न्यायालय से धोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि छतुसिह के 1/4 हिस्सा में मानसिह कल्याणसिह रामसिह का 24 बहिब व रूधनाथसिह व जगनाथसिह का 16 हिस्स बहिब था।

रूधनाथसिह का वाद भूमि में 8 बिश्वा भूमि आती थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में कुल 40 हिस्सा छतुसिह का था में 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया अर्थात 1 बीधा भूमि दर्ज करवा ली रूधनाथसिह के एक वारिस लालसिह था जिसने प्रतिवादी संख्या 1 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय करके फर्जी तौर पर बिना हक व हिस्सा के 1 बीधा अर्थात 20 हिस्सा भूमि का विक्रय कर दिया जो जन्मजात शुन्य है क्योकि रूधनाथसिह व लालसिह का केवल 8 बिश्वा भूमि ही थी इसप्रकार जगनाथसिह केवल मात्र 8 बिश्वा भूमि हिस्सा में आती थी और राजस्व रिकार्ड में 20 हिस्सा दर्ज करवा ली जो विधि विरूद्व है।

उक्त गलत अंकन का फायदा उठाकर सायलान दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 22 ता 25 के कब्जा काश्त में दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व गैरसायल न0 1 दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 दखल देना चाहते है और भूमि का बेचान करने पर उतारू है इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने

का अधिकारी है कि सायलान व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 8 ता 18 के हक हिस्सा व हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि में दखल नही करे। बाद धोषणा अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 66/105 की कुल 2.0240हैक भूमि को गैरसायल रहन बैय ना करे एव ना ही सायलान के कब्जा काश्त में दखल करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई गैरसायल न0 2 ,3 फोरमल पक्षकार है जबाब की आवश्यकता नही हमने सायलान की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 66/105 की कुल 2.0240हैक भूमि भभूतसिह अर्थात सायलान के दादा पडदादा की थी जिनकी मृत्यू के पश्चात उनके चार वारिसान छतुसिह , बिडदसिह, बिशनसिह , भोपालसिह के नाम से बहिब दर्ज हुई।

वाद भूमि चक 1 आरपीएम की उक्त भूमि कुल 2.0240हैक अर्थात 8 बीधा अर्थात 160 हिस्सा भूमि थी इसलिये छतुसिह 2 बीधा अर्थात 40 हिस्सा , बिडदसिह 2 बीधा अर्थात 40 हिस्सा बिशनसिह 2 बीधा अर्थात 40 हिस्सा, भोपालसिह 2 बीधा अर्थात 40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए।

वाद भूमि छतुसिह 1/4 हिस्सा अर्थात 2 बीधा 40 हिस्सा भूमि थी जिनके स्वर्गवास के पश्चात कुल 5 वारिसान रूधनाथसिह, जगनाथसिह , मानसिह, कल्याणसिह, रामसिह हुए जिन्हे विरास्तन से 8--8 बिश्वा भूमि प्राप्त हुई।

बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड तेयार करते समय केवल रूधनाथसिह व जगनाथसिह के नाम 40 हिस्सा अर्थात छतुसिह का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज कर दिया व मानसिह व कल्याणसिह व रामसिह का हिस्सा दर्ज नही किया जो विधि विरूद्व है जिससे मानसिह , कल्याणसिह, रामसिह के हकों का हनन होता है इसलिये न्यायालय से धोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि छतुसिह के 1/4 हिस्सा में मानसिह कल्याणसिह रामसिह का 24 बहिब व रूधनाथसिह व जगनाथसिह का 16 हिस्स बहिब था।

रूधनाथसिह का वाद भूमि में 8 बिश्वा भूमि आती थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में कुल 40 हिस्सा छतुसिह का था में 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया अर्थात 1 बीधा भूमि दर्ज करवा ली रूधनाथसिह के एक वारिस लालसिह था जिसने प्रतिवादी संख्या 1 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय करके फर्जी तौर पर बिना हक व हिस्सा के 1 बीधा अर्थात 20 हिस्सा भूमि का विक्रय कर दिया जो जन्मजात शुन्य है क्योकि रूधनाथसिह व लालसिह का केवल 8 बिश्वा भूमि ही थी इसप्रकार जगनाथसिह केवल मात्र 8 बिश्वा भूमि हिस्सा में आती थी और राजस्व रिकार्ड में 20 हिस्सा दर्ज करवा ली जो विधि विरूद्व है।

उक्त गलत अंकन का फायदा उठाकर सायलान दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 22 ता 25 के कब्जा काश्त में दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व गैरसायल न0 1 दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 दखल देना चाहते है और भूमि का बेचान करने पर उतारू है इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि सायलान व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 8 ता 18 के हक हिस्सा व हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि में दखल नही करे। बाद धोषणा अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने के अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमने वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान का वाद भूमि में कितना हिस्सा दर्ज है एवं बन्दोबस्त विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड दर्ज करते समय गलत अंकन

किया गया है अथवा नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में सायलान के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उसके वारिसान के नाम से दर्ज चली आ रही है अर्थात पैतृक सम्पति है विरास्तन से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रतित होता है।

वाद भूमि भभूतसिह के नाम से पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान उनके पुत्रों के नाम एव पुत्रों के देहान्त होने पर उसके पुत्रों के नाम से दर्ज होती आ रही है अर्थात विरास्तन से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती चली आ रही है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होगा की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज होती आई है या नही जब तक वाद में पक्षकारो की हिस्सा कस्सी साबित नही हो जाती तब तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायलान के नाम से दर्ज है जिसका फायदा उठाकर वह कभी भी वाद भूमि का बेचान कर सकता है एवं सायलान के कब्जा काश्त को प्रभावित कर सकता है अर्थात अपूर्णीय क्षति सायलान को हो सकती है इसलिये गैरसायलान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि वह वाद में हिस्सा कस्सी अर्थात हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायलान के पक्ष में साबित होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 09.08.2019 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)